


(11)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर ₹म०प्र०॥ सर्किट-कोर्ट-रीवा
जिला-रीवा ₹म०प्र०॥



(10)

R5285=II/16

Rs-301-

गंगा प्रसाद पाठक तनय स्व० रामखेलावन पाठक, उम्र 58 वर्ष, पेशा-खेती
निवासी ग्राम खड्डा, तहसील गुड्डा, जिला-रीवा ₹म०प्र०॥

-----निगरानीकर्ता.

बनाम

- ११॥ मोहनलाल तनय लल्लुराम पाठक,
- १२॥ शिवकुमार पाठक तनय दददी राम पाठक,
- १३॥ विष्णु प्रसाद तिवारी तनय रामानुज तिवारी,
- १४॥ कैलाश प्रसाद तिवारी तनय रामानुज तिवारी,
- १५॥ देवराज पाठक तनय परमेश्वरदीन पाठक,
- १६॥ बेवा बाल्मीक पत्नी स्व० श्री बाल्मीक प्रसाद तिवारी,
- १७॥ रामराज पाठक तनय परमेश्वरदीन पाठक,
- १८॥ लल्लु प्रसाद मुहुड्डा तनय सुन्दरवा मुहुडा,
- १९॥ शान्ती देवी पत्नी स्व० हनुमान प्रसाद पाठक,
- ११०॥ चित्रेन्द्र पाठक तनय स्व० हनुमान प्रसाद पाठक,

----- सभी निवासी ग्राम खड्डा, तहसील गुड्डा, जिला-रीवा ₹म०प्र०॥

----- गैर निगरानीकर्ता

श्री. के. के. सिपाही
द्वारा आज दिनांक 28-6-16 को
प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध न्यायालय अमर आयुक्त
रीवा संभाग, रीवा ₹म०प्र०॥ प्रकरण क्रमांक
137/अंतरण/15-16 पारित आदेश दि०

10/6/2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-
राजस्व सीहता।


M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5285-II/16

जिला-रीवा

गंगा प्रसाद पाठक/मोहनलाल पाठक

(1)	(2)	(3)
01.02.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजा जावे, तत्पश्चात् प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	